



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225996  
CG-DL-E-18032021-225996

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1156]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 1156]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

## इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

**का.आ. 1248(अ).**—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, यानि:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) यह आदेश “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021” कहलाएगा।
- मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग:-** निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामान, कथित अनुसूची के कॉलम (3) में दिए गए तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक (अनुरूपता मूल्यांकन) ब्यूरो विनियमावली, 2018 की अनुसूची-II की योजना-II के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक लाइसेंस के तहत ‘मानक’ चिह्न रखेंगे बशर्ते कि इस आदेश में निर्यात के लिए निर्धारित कथित अनुसूची के कॉलम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे माल या वस्तुओं के निर्यात के संबंध में लागू नहीं होगा जो विदेशी खरीदकर्ताओं द्वारा आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने विशिष्ट रूप से लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाने के कारणों के आधार पर छूट पत्र जारी किया है।
- समय सीमा:** यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के छह माह समाप्त होने के बाद लागू होगा।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के साथ समवर्ती संचालन :** आदेश में ऐसे माल या वस्तुओं में कुछ भी लागू नहीं होगा जिनके पास “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012” के प्रावधानों के अनुसार वैध पंजीकरण संख्या मौजूद है। तथापि, “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021” के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण का नवीकरण किया जाएगा।

5. प्रमाणन और प्रवर्तन : कथित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो इस आदेश के अंतर्गत मानक चिह्न के साथ समरूपता को प्रमाणित और प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकृत होगा और साथ ही आवश्यक होने पर भारत सरकार के अवर सचिव से ऊपर के पद वाले या जिला उद्योग केंद्र, इस आदेश के प्रवर्तन में ब्यूरो को सहायता देंगे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित एजेंसियों द्वारा निगरानी की जाएगी।

### अनुसूची

क्रम संख्या	माल या लेख	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इलेक्ट्रॉनिक गेम्स (वीडियो)	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - सुरक्षा आवश्यकताएँ
2.	लैपटॉप / नोटबुक / टैबलेट	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा - सामान्य आवश्यकताएँ
3.	प्लाज्मा / एलसीडी / एलईडी / 32 इंच और इससे अधिक आकार के स्क्रीन की टीवी	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएँ
4.	200वाट और उससे अधिक के इनपुट पावर के एम्पलीफायरों निर्मित ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - सुरक्षा आवश्यकताएँ
5.	माइक्रोवेव ओवन	आईएस 302 : भाग -2: खंड 25: 2014	घरेलू और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा: खंड 2 विशेष आवश्यकताएँ: खंड 25 माइक्रोवेव ओवन
6.	विजुअल डिस्प्ले यूनिट, 32 इंच और इससे अधिक स्क्रीन आकार के वीडियो मॉनिटर	आईएस 13252 : भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा - सामान्य आवश्यकताएँ
7.	प्रिंटर / मल्टी-फंक्शन डिवाइस (एमएफडी) / प्लॉटर्स	आईएस 13252: भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा - सामान्य आवश्यकताएँ
8.	स्कैनर्स	आईएस 13252: भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा - सामान्य आवश्यकताएँ
9.	वायरलेस कीबोर्ड	आईएस 13252 : भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा - सामान्य आवश्यकताएँ
10.	टेलिफोन आंसरिंग मशीन	आईएस 13252 : भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा - सामान्य आवश्यकताएँ
11.	इनपुट पावर 2000वाट और इससे अधिक इनपुट पावर वाले एम्पलीफायर	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - सुरक्षा आवश्यकताएँ
12.	200वाट और इससे अधिक के इलेक्ट्रॉनिक इससे अधिक जिकल सिस्टम	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - सुरक्षा आवश्यकताएँ
13.	मेन्स पॉवर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स	आईएस 302 भाग -2: खंड- 26: 2014	घरेलू और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा: खंड 2 विशेष आवश्यकताएँ: खंड 26 क्लॉक्स
14.	सेट टॉप बॉक्स	आईएस 13252 : भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण-सुरक्षा-सामान्य आवश्यकताएँ
15.	स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन	आईएस 13252 : भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण-सुरक्षा-सामान्य आवश्यकताएँ
16.	आईटी उपकरणों के लिए पॉवर एडेप्टर	आईएस 13252 : भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण-सुरक्षा-सामान्य आवश्यकताएँ

17.	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए पावर एडेप्टर	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - सुरक्षा आवश्यकताएँ
18.	यूपीएस / इनवर्टर रेटिंग 5 केववीए	आईएस 16242 :भाग 1: 2014	यूपीएस के लिए निर्बाध विद्युत प्रणाली (यूपीएस) खंड 1 सामान्य और सुरक्षा आवश्यकताएँ
19.	एलईडी मॉड्यूल के लिए डीसी या एसी आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण गियर	आईएस 15885 :भाग 2 : खंड 13 : 2012	लैंप कंट्रोल गियर की सुरक्षा पार्ट 2 की विशेष रूप से आवश्यक खंड 13 डीसी या एसी। एलईडी मॉड्यूल के लिए सप्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल गियर
20.	पोर्टेबल एप्लीकेशन में उपयोग के लिए अलकलाइन या अन्य नॉन-एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सीलड सेकेंडरी सेल/ बैटरियां	आईएस 16046 : भाग 1 : 2018	अलकलाइन या अन्य नॉन-एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त माध्यमिक कोशिकाएं और बैटरियां - पोर्टेबल सील माध्यमिक कोशिकाओं के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं और पोर्टेबल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उनके द्वारा निर्मित बैटरियों के लिए भाग 1 निकल सिस्टम
		आईएस 16046 : भाग 2 : 2018	अलकलाइन या अन्य नॉन-एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त माध्यमिक कोशिकाएं और बैटरियां - पोर्टेबल सील माध्यमिक कोशिकाओं के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं और पोर्टेबल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उनके द्वारा निर्मित बैटरियों के लिए पार्ट 2 लिथियम सिस्टम
21.	जनरल लाइटिंग सेवाओं के लिए सेल्फ-बैलेस्टेड लईडी लैंप	आईएस 16102 :भाग 1: 2012	जनरल लाइटिंग सर्विसेज पार्ट 1 के लिए सुरक्षा आवश्यकता के लिए सेल्फ बैलेस्टेड लईडी लैंप
22.	फिक्स्ड जनरल पर्पज एलईडी ल्यूमिनरीज	आईएस 10322 : भाग 5 खंड 1: 2012	ल्यूमिनरीज खंड 5 विशेष आवश्यकताएं खंड 1 फिक्स्ड सामान्य उद्देश्य ल्यूमिनरीज
23.	मोबाइल फोन	आईएस 13252: भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएँ
24.	कैश रजिस्टर	आईएस 13252: भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएँ
25.	प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएँ
26.	काँपी मशीनें / डुप्लिकेटर्स	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएँ
27.	स्मार्ट कार्ड पाठक	आईएस 13252 : भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएँ
28.	मेल प्रोसेसिंग मशीन / डाक मशीनें / फ्रैकिंग मशीन	आईएस 13252:भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएँ
29.	पासपोर्ट रीडर	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएँ
30.	पोर्टेबल एप्लीकेशन में उपयोग के लिए पावर बैंक	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी - उपकरण - सुरक्षा - सामान्य आवश्यकताएँ
31.	मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा समर्थन	आईएस 16333 :भाग 3: 2017	मोबाइल फोन हैंडसेट के लिए मोबाइल फोन हैंडसेट खंड 3 भारतीय भाषा समर्थन - विशिष्ट आवश्यकताएँ
32.	रिसेस्ड एलईडी लाइट्स	आईएस 10322 :भाग 5: खंड 2): 2012	ल्यूमिनेयर भाग 5: विशेष आवश्यकताएं खंड 2 रिसेस्ड ल्यूमिनरीज

33.	रोड और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एलईडी ल्यूमिनेयर	आईएस 10322 :भाग 5 : खंड 3): 2012	ल्यूमिनेयर खंड 5: रोड और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए विशेष आवश्यकताएं खंड 3 ल्यूमिनेरी
34.	एलईडी फ्लड लाइट्स	आईएस 10322 :भाग 5 : खंड 5): 2013	ल्यूमिनेरीज खंड 5: विशेष आवश्यकताओं खंड 5 फ्लड लाइट
35.	एलईडी हाथ लैंप	आईएस 10322 : भाग 5 : खंड 6: 2013	ल्यूमिनेरीज खंड 5: विशेष आवश्यकताएं खंड 6 हैंड लैंप
36.	एलईडी लाइटिंग चैन	आईएस 10322 :भाग 5: खंड 7 : 2017	ल्यूमिनेरीज भाग 5: विशेष आवश्यकताएं धारा 7 प्रकाश चैन
37.	इमरजेंसी लाइटिंग के लिए एलईडी ल्यूमिनेरीज	आईएस 10322 भाग 5 : खंड 8: 2013	ल्यूमिनेरीज भाग 5: विशेष आवश्यकताएं खंड 8 इमरजेंसी लाइटिंग के लिए ल्यूमिनेरीज
38.	यूपीएस / रेटिंग के इनवर्टर के 10केवीए	आईएस 16242 भाग 1: 2014	यूपीएस के लिए निर्बाध विद्युत प्रणाली (यूपीएस) खंड 1 सामान्य और सुरक्षा आवश्यकताएँ
39.	प्लाज्मा / एलसीडी / एलईडी / 32 इंच तक आकार के स्क्रीन की टीवी	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएं
40.	विजुअल डिस्प्ले इकाइयाँ, 32 इंच तक स्क्रीन आकार के वीडियो मॉनिटर	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा - सामान्य आवश्यकताएँ
41.	सीसीटीवी कैमरे / सीसीटीवी रिकार्डर	आईएस 13252 : भाग 1 : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा सामान्य आवश्यकताएँ
42.	घरेलू और इसी तरह के बिजली के उपकरणों के लिए एडेप्टर	आईएस 302 :भाग 1: 2008	सुरक्षा या घरेलू और समान विद्युत उपकरण भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं
43.	यूएसबी संचालित बारकोड रीडर, बारकोड स्कैनर, आइरिस स्कैनर, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा सामान्य आवश्यकताएँ
44.	स्मार्ट घड़ियाँ	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा सामान्य आवश्यकताएँ
45.	सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए स्टैंडअलोन एलईडी मॉड्यूल	आईएस 16103: भाग 1: 2012	सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी मॉड्यूल: खंड 1 सुरक्षा आवश्यकताएँ
46.	लाइटिंग चैन (रोप लाइट)	आईएस 10322: भाग 5 खंड 9: 2017	ल्यूमिनेरीज: खंड 5 विशेष आवश्यकताएं धारा 9 रस्सी लाइट्स
47.	कीबोर्ड	आईएस 13252: भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा खंड 1 सामान्य आवश्यकताएं
48.	इंडक्शन चूल्हा	आईएस 302: भाग 2: खंड 6: 2009	घरेलू और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा: खंड 2 विशेष आवश्यकताएं, खंड 6 खाना पकाने की रेंज, हॉब्स, ओवन और इसी तरह के उपकरण
49.	स्वचालित टेलर कैश डिस्पेंसिंग मशीन	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा खंड 1 सामान्य आवश्यकताएं
50.	यूएसबी प्रकार बाहरी हार्ड डिस्क ड्राइव	आईएस 13252: भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा खंड 1 सामान्य आवश्यकताएं
51.	वायरलेस हेडफोन और ईयरफोन	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - सुरक्षा आवश्यकताओं
52.	यूएसबी टाइप एक्सटर्नल सॉलिड-स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस (256 जीबी क्षमता से ऊपर)	आईएस 13252 भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा खंड 1 सामान्य आवश्यकताएं

53.	200 वाट से कम इनपुट पावर के साथ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - सुरक्षा आवश्यकताएँ
54.	आउटपुट वोल्टेज 48 वी (अधिकतम) के साथ स्टैंडअलोन स्विच मोड पावर सप्लाय (एसएमपीएस)	आईएस 13252: भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा खंड 1 सामान्य आवश्यकताएँ
55.	प्लज्मा / एलसीडी / एलईडी टीवी के आलावा टेलीवीजन	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएँ
56.	चावल पकाने का बर्तन	आईएस 302 : भाग 2: खंड 15: 2009	घरेलू और इसी तरह के बिजली के उपकरणों की सुरक्षा: खंड 2 विशेष आवश्यकताएँ: तरल पदार्थ हीटिंग के लिए खंड 15 उपकरण
57.	वायरलेस माइक्रोफोन	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएँ
58.	डिजिटल कैमरा	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 1 सामान्य आवश्यकताएँ
59.	वीडियो कैमरा	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएँ
60.	वेब कैमरा (तैयार उत्पाद)	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएँ
61.	स्मार्ट स्पीकर (डिस्पले के साथ तथा डिस्पले के बिना )	आईएस 13252 :भाग 1: 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा खंड 1 सामान्य आवश्यकताएँ
62.	एलईडी उत्पादों के लिए डीमर्स	आईएस 60669: भाग 2: खंड 1: 2008	घरेलू और इसी तरह के बिजली के प्रतिष्ठानों के लिए स्विच के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्विच मानकों की विशेष आवश्यकताएँ ।
63.	ब्लूटूथ स्पीकर	आईएस 616: 2017	ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएँ

**नोट :** अनुसूची के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, जिसमें संशोधन जारी किए गए हैं, जैसा कि समय-समय पर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित किया जाता है, ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होगा।

[फा. सं. डब्लू-47/4/2020-आइ.पी.एच.डब्ल्यू.-ई. एवं सू. प्रौ.मं.]

आशा नांगिया, वैज्ञानिक 'जी'

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### ORDER

New Delhi, the 18th March, 2021

**S.O. 1248(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016,(11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

**1. Short Title and commencement:** - (1) This Order may be called the "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021".

**2. Compulsory use of standard mark:**-Goods or articles specified in the column (2) of the Schedule below shall conform to the corresponding Indian Standard given in the column (3) of the said Schedule and shall bear the 'Standard' Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-II of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, provided that nothing in the Order shall apply in relation to goods or articles, as specified in the column (2) of the said

Schedule meant for export which conform to the specification required by the foreign buyer and to goods or articles, for which the Central Government has issued specific exemption letter based on reasons to be recorded in writing.

**3. Timeline:** The Order shall be applicable after expiry of six months of publication in official Gazette.

**4. Concurrent Running with Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012:-** Nothing in the Order shall apply in relation to goods or articles, which are having valid registration number as per the provisions of "Electronics and Information Technology Goods ( Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012". However the registration would be renewed under the provisions of "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021".

**5. Certification and enforcement:** In respect of the goods or articles specified in column (2) of the said Schedule, the Bureau of Indian Standards shall be the authority to certify and enforce conformity to the Standard Mark under this Order and in addition, whenever required, an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India or District Industries Centre shall assist the Bureau in the enforcement of this Order. The surveillance would be conducted by agencies notified by Bureau of Indian Standards in consultation with Ministry of Electronics and Information Technology.

#### SCHEDULE

S. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Electronic Games (Video)	IS 616:2017	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
2.	Laptops/Notebooks/Tablets	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment Safety -General Requirements
3.	Plasma/LCD/LED Televisions of screen size 32 inches & above	IS 616:2017	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus -Safety Requirements
4.	Optical Disc Players with built in amplifiers of input power 200W and above	IS 616:2017	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
5.	Microwave Ovens	IS 302 : Part 2 : Sec 25 : 2014	Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements: Section 25 Microwave ovens
6.	Visual Display Units, Video Monitors of screen size 32 inch & above	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
7.	Printers/ Multi-Function Devices (MFD)/ Plotters	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
8.	Scanners	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
9.	Wireless Keyboards	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
10.	Telephone Answering Machines	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
11.	Amplifiers with input power 2000W and above	IS 616:2017	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
12.	Electronic Musical Systems 200 Watt & above	IS 616:2017	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements
13.	Electronic Clocks with Mains Power	IS 302 : Part 2 : Sec 26 : 2014	Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements: Section 26 Clocks
14.	Set Top Boxes	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment-Safety-General Requirements

15.	Automatic Data Processing Machines	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment-Safety-General Requirements
16.	Power Adaptors for IT Equipment	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment-Safety-General Requirements
17.	Power Adaptors for Audio, Video & Similar Electronic Apparatus	IS 616:2017	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
18.	UPS/Inverters of rating $\leq$ 5kVA	IS 16242 : Part 1 : 2014	Uninterruptible Power Systems (UPS) Part 1 General and Safety Requirements for UPS
19.	DC or AC Supplied Electronic Control gears for LED Modules	IS 15885 : Part 2 : Sec 13 : 2012	Safety of Lamp Control gear Part 2 Particular Requirements Section 13 d.c. or a.c. Supplied Electronic Control gear for LED Modules
20.	Sealed Secondary Cells/Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes for use in portable applications	IS 16046 : Part 1 : 2018	Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non-Acid Electrolytes — Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells and for Batteries Made from Them for Use in Portable Applications Part 1 Nickel Systems
		IS 16046 : Part 2 : 2018	Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non-Acid Electrolytes — Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells and for Batteries Made from Them for Use in Portable Applications Part 2 Lithium Systems
21.	Self-Ballasted LED Lamps for General Lighting Services	IS 16102 : Part 1 : 2012	Self-Ballasted LED Lamps for General Lighting Services Part 1 Safety Requirements
22.	Fixed General Purpose LED Luminaries	IS 10322 : Part 5 : Sec 1 : 2012	Luminaries Part 5 Particular Requirements Sec 1 General purpose luminaries
23.	Mobile Phones	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety- General Requirements
24.	Cash Registers	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety- General Requirements
25.	Point of Sale Terminals	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety- General Requirements
26.	Copying Machines/Duplicators	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety- General Requirements
27.	Smart Card Readers	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety- General Requirements
28.	Mail Processing Machines/Postage Machines/ Franking Machines	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety- General Requirements
29.	Passport Readers	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety- General Requirements
30.	Power Bank for use in portable applications	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology - Equipment – Safety - General Requirements
31.	Indian Language Support for Mobile Phones	IS 16333 : Part 3 : 2017	Mobile Phone Handsets Part 3 Indian Language Support for Mobile Phone Handsets – Specific Requirements
32.	Recessed LED Luminaries	IS 10322 : Part 5 : Sec 2 : 2012	Luminaries Part 5: Particular Requirements-Section 2: Recessed Luminaries

33.	LED Luminaries for Road and Street Lightings	IS 10322 : Part 5 : Sec 3 : 2012	Luminaries: Part 5: Particular Requirements, Section 3: Luminaries for Road and Street Lighting
34.	LED Flood Lights	IS 10322 : Part 5 : Sec 5 : 2013	Luminaries: Part 5: Particular Requirements, Section 5 Flood Lights
35.	LED Hand Lamps	IS 10322 : Part 5 : Sec 6 : 2013	Luminaries Part 5: Particular Requirements Section 6 Hand Lamps
36.	LED Lighting Chains	IS 10322 : Part 5 : Sec 7 : 2017	Luminaries Part 5: Particular Requirements Section 7 Lighting Chains
37.	LED Luminaries for Emergency Lighting	IS 10322 : Part 5 : Sec 8 : 2013	Luminaries Part 5: Particular Requirements Section 8 Emergency Lighting
38.	UPS/Inverters of rating $\leq$ 10kVA	IS 16242 : Part 1 : 2014	Uninterruptible Power Systems (UPS) Part 1 General and Safety Requirements for UPS
39.	Plasma/LCD/LED Televisions of screen size upto 32 inches	IS 616 : 2017	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus -Safety Requirements
40.	Visual Display Units, Video Monitors of screen size upto 32 inch	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
41.	CCTV Cameras/CCTV Recorders	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety General Requirements
42.	Adapters for household and similar electrical appliances	IS 302 : Part 1 : 2008	Safety or Household and similar electrical appliances Part 1 General requirements
43.	USB driven Barcode readers, barcode scanners, Iris scanners, Optical fingerprint scanner	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety General Requirements
44.	Smart Watches	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information Technology Equipment - Safety General Requirements
45.	Standalone LED Modules for General Lighting	IS 16103 : Part 1 : 2012	LED modules for general lighting: Part 1 safety requirements
46.	Lighting Chains (Rope Lights)	IS 10322 : Part 5 : Sec 9 : 2017	Luminaries: Part 5 Particular Requirements Section 9 Rope Lights
47.	Keyboards	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
48.	Induction Stoves	IS 302 : Part 2 : Sec 6 : 2009	Safety of household and similar electrical appliances: part 2 particular requirements, section 6 cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances
49.	Automatic Teller Cash dispensing machines	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
50.	USB Type External Hard Disk Drives	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
51.	Wireless Headphones and Earphones	IS 616 : 2017	Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements
52.	USB Type External Solid-State Storage Devices (above 256 GB capacity)	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
53.	Electronic Musical Systems with input power below 200 Watts	IS 616 : 2017	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements



54.	Standalone Switch Mode Power Supplies (SMPS) with output voltage 48 V (max)	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
55.	Televisions other than Plasma/LCD/LED TVs	IS 616 : 2017	Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements
56.	Rice Cookers	IS 302 : Part 2 : Sec 15 : 2009	safety of household and similar electrical appliances: part 2 particular requirements: section 15 appliances for heating liquids
57.	Wireless microphones	IS 616 : 2017	Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements
58.	Digital Cameras	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
59.	Video cameras	IS 616 : 2017	Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements
60.	Webcams (Finished Product)	IS 616 : 2017	Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements
61.	Smart Speakers (with and without Display)	IS 13252 : Part 1 : 2010	Information technology equipment - safety part 1 general requirements
62.	Dimmers for LED products	IS 60669 : Part 2 : Sec 1 : 2008	Switches for Household and Similar Fixed Electrical Installations Part 2 Particular Requirements Section 1 Electronic Switches
63.	Bluetooth speakers	IS 616 : 2017	Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements

**Note :** For the purpose of Schedule, the latest version of Indian standards including the amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau from time to time, shall be applicable from the date as notified by the Bureau.

[F.No.W-47/4/2020-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist 'G'



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226142  
CG-DL-E-26032021-226142

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

No. 1249]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का. आ.1353(अ).—इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में दिनांक 18, मार्च, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1248 (अ) में (i) अनुसूची के क्रमांक संख्या 45 के कॉलम 2 में सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए स्टैंडअलोन एलईडी मॉड्यूल' को सामान्य प्रकाश के लिए स्वतंत्र एलईडी मॉड्यूल' पढ़ा जाए।

(ii) अनुसूची के क्रमांक संख्या 61 के कॉलम 3 में आईएस 13252 :भाग 1: 2010' को आईएस 616: 2017' पढ़ा जाए।

(iii) अनुसूची के क्रमांक संख्या 61 के कॉलम 4 में 'सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा खंड 1 सामान्य आवश्यकताएं' को 'ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएं' पढ़ा जाए।

[ फा. नंबर डब्लू-47/4/2020-आइ० पी० एच० डब्लू० -ई० एवं सू० प्रौ० मं० ]

आशा नांगिया, वैज्ञानिक 'जी'

टिपण्णी : प्रधान आदेश भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 18 मार्च, 2021 के का० आ० संख्या 1248 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 25th March, 2021

**S.O. 1353(E).**—In the notification of the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number G.S.R. 1248(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2021:

(i) at column 2 of S. No 45 of the schedule; the entry ‘Standalone LED Modules for General lighting’ be read as ‘Independent LED Modules for General Lighting’.

(ii) at column 3 of S. No. 61 of the schedule, the entry IS 13252 : Part 1 : 2010 be read as IS 616:2017.

(iii) at column 4 of S. No. 61 of the schedule, the entry ‘Information technology equipment - safety part 1 general requirements’ be read as ‘Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements’.

[F.No.W-47/4/2020-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist ‘G’

**Note :** The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2021.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072021-228311  
CG-DL-E-15072021-228311

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2638]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943

No. 2638]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई 2021

**का.आ. 2844(अ).**—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एतद्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

पैराग्राफ 5 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ डाला जाएगा, अर्थात्:

**6. आदेश के आस्थगित अनुप्रयोग** : ऐसे विनिर्माताओं, जो इस आदेश के अंतर्गत पहले से ही पंजीकृत हैं, के लिए भारत के संघीय सीमा के भीतर किसी नए स्थल पर विनिर्मित मॉल ( वस्तुओ) के लिए आदेश का अनुप्रयोग को छ: माह तक आस्थगित रखा जायेगा बशर्ते कि:

क) नया विनिर्माण स्थल उसी विनिर्माता की जिम्मेदारी के तहत आता हो ;

ख) इस नए स्थल पर विनिर्मित माल का विशिष्ट प्रकार / मॉडल नंबर किसी अन्य स्थल पर उसकी विनिर्माण यूनिट के लिए उसी विनिर्माता के पंजीकरण के कार्य क्षेत्र (परिधि) में पहले से ही शामिल हो |

अंतिम अवधि के दौरान ऐसे उत्पाद/ उत्पादों के लिए इस विनिर्माता को किस अन्य स्थल हेतु स्वीकृत की गयी पंजीकरण संख्या का समर्थन जारी रहेगा |

**7. बंदरगाह पर मानक चिन्ह लगाना** : "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021" के तहत अधिसूचित सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए, विदेशी विनिर्माण इकाई के भारत में स्थित सम्बद्ध कार्यालय या शाखा कार्यालय के प्रतिनिधि को ब्यूरो से पंजीकरण संख्या रखने वाले माल पर बंदरगाह पर मानक चिन्ह लगाने का प्रावधान उस विशेष उत्पाद श्रेणी के लिए आदेश के प्रभाव में आने की तारीख से तीन महीने (अधिकतम) का संक्रमण अवधि सीमा शुल्क से माल की निकासी के लिए उपलब्ध होगा |

**8. अति विशिष्ट उपकरणों के लिए छूट**: नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार अति विशिष्ट उपकरण (एचएसई) को इस आदेश के लागू होने से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि वे प्रति वर्ष प्रति मॉडल 100 इकाइयों से कम में निर्मित/आयातित हों-

- क) तीन फेज बिजली आपूर्ति द्वारा संचालित उपकरण या  
 ख) एक फेज बिजली आपूर्ति द्वारा संचालित उपकरण जिनकी करंट रेटिंग 16 एम्पीयर या उससे अधिक हो, या  
 ग) 1.5 मीटर x 0.8 मीटर से अधिक आयाम वाले उपकरण, या  
 घ) 80 किलोग्राम से अधिक वजन वाले उपकरण

[फा. सं. डब्लू-47/4/2020-आइ.पी.एच.डब्ल्यू.-ई. एवं सू. प्रौ. मं.]

आशा नांगिया, वैज्ञानिक 'जी'

**टिपणी :** प्रधान आदेश भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 18 मार्च, 2021 के का० आ० संख्या 1248 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था, तत्पश्चात एस.ओ. संख्या 1353 (अ) दिनांक 25.03.2021 के द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### ORDER

New Delhi, the 1st July, 2021

**S.O. 2844(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendments to the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021",

After Paragraph 5, the following paragraph shall be inserted, namely:-

**"6. Deferred Application of Order"**- For manufacturers that are already registered under this Order, the application of the Order shall be deferred by six months for goods manufactured at any new location within the territory of India provided:

- That the new manufacturing location is within the responsibility of the same manufacturer
- That the specific type/model number of the goods manufactured at this new location are already covered in the scope of registration of the same manufacturer for its manufacturing unit, at any other location.

During the interim period such product/products will continue to support the registration number granted to this manufacturer earlier for any other manufacturing location.

**"7. Labeling at Custom ports:"** For all the product categories notified under the "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021", a transition period of three months (max), from the date of coming into effect of the Order for the particular product category, would be available to the representative of the foreign manufacturing unit having liaison office or branch office located in India for affixing Standard Mark at the ports which are already having registration number from the Bureau for clearance of goods from customs.

**"8. Exemption for Highly Specialized Equipment (HSE) :** HSE as per the criteria given below shall stand exempted from the application of this Order provided they are manufactured/ imported in less than 100 units per model per year-

- Equipment Powered by three phase power supply or
- Equipment Powered by single phase power supply with current rating exceeding 16 Ampere or
- Equipment with dimensions exceeding 1.5 m x 0.8 m or
- Equipment with weight exceeding 80 Kg

[F. No. W-47/4/2020-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist 'G'

**Note :** The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25.03.2021



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245471  
CG-DL-E-27042023-245471

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1841]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2023/वैशाख 6, 1945

No. 1841]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2023/VAISAKHA 6, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आई० पी० एच० डब्ल्यू० डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2023

विषय: "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021" में संशोधन

का.आ. 1929(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2021" में निम्नलिखित संशोधन करती है:

(i) उपरोक्त आदेश के पैरा 2 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग: - निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामान, कथित अनुसूची के कॉलम (3) में दिए गए तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक (अनुरूपता मूल्यांकन) ब्यूरो विनियमावली, 2018 की अनुसूची-II की योजना-II के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक लाइसेंस के तहत 'मानक' चिह्न रखेंगे बशर्ते कि इस आदेश में निर्यात के लिए निर्धारित कथित अनुसूची के कॉलम

(2) में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे माल या वस्तुओं के विनिर्माण के संबंध में लागू नहीं होगा जो विदेशी खरीदकर्ताओं द्वारा आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके द्वारा समय-समय पर लेखबद्ध किए जाने और उसके द्वारा यथापरिलक्षित वाले कारणों से अनुसूची में वर्णित विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा उत्पादों के प्रकार या श्रेणी को इस आदेश को लागू करने से छूट दे सकेगा।

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (आवश्यक पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2021 की अनुसूची में क्रम संख्या 64 पर की जाए।

क्रम संख्या (1)	उत्पाद श्रेणी (2)	भारतीय मानक संख्या (3)	भारतीय मानक का शीर्षक (4)
64.	टेलीविजन सेट	आईएस 18112:2022	सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट ट्रान्समिशन के लिए डिजिटल टेलीविजन रिसीवर - स्पेसिफिकेशन

2. "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2021" के प्रावधान इस अधिसूचना के द्वारा उक्त आदेश की अनुसूची में जोड़े गए कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर कॉलम (3) में निर्दिष्ट अनुसार भारतीय मानक के अनुपालन के लिए आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल की समाप्ति पर लागू होंगे।

[फा. सं. : डब्ल्यू-47/7/2023-आईपीएचडब्ल्यू-एमईआईटीवाई]

आशा नांगिया, वैज्ञानिक 'जी'

नोट : प्रधान आदेश 18 मार्च, 2021 को एसओ संख्या 1248 (ई) के माध्यम से भारत के राजपत्र, अतिविशिष्ट में प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 25.03.2021 की एस.ओ. सं 1353 (ई) और दिनांक 01.07.2021 की एस.ओ. 2844 (ई) के जरिये इसे संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2023

**Subject: Amendment to the "Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021"**

**S.O. 1929(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendments to the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021":

(i) The Para 2 of the aforesaid Order shall be read as:

**Compulsory use of standard mark:**—Goods or articles specified in the column (2) of the Schedule below shall conform to the corresponding Indian Standard given in the column (3) of the said Schedule and shall bear the 'Standard' Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-II of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, provided that nothing in the Order shall apply in relation to manufacture of goods or articles, as specified in the column (2) of the said Schedule for export which

conform to the specification required by the foreign buyer. Further, the Ministry of Electronics and Information Technology may exempt, the application of this order to specific article or type or range of products mentioned in the Schedule for reasons to be recorded in writing and as identified by it from time to time.

- (ii) The following entry be added at S. No. 64 in the Schedule of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021.

S. No (1)	Goods or Articles (2)	Indian Standard (3)	Title of Indian Standard (4)
64.	Television Sets	IS 18112:2022	Digital Television Receiver for Satellite Broadcast Transmission —Specification

2. The provisions of “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021” shall apply on the Goods or articles as specified in the column (2) added to the schedule of the said Order by virtue of this notification for conforming the corresponding Indian standard as specified in the column (3), on the expiry of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. : W-47/7/2023-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist ‘G’

**Note:** The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E), dated the 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25.03.2021 and S.O. 2844(E). dated 01.07.2021.